(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।,खंड 3, उपखंड (i ) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 21/2022-सीमाशुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 8 जून, 2022

सा.का.नि. ..... (अ)- जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "नए अप्रयुक्त न्यूमेंटिक रेडियल टायरों के बिना आयत किये गए ट्यूबों और अथवा फ्लेपो को छोड़कर बसों और लॉरियो / ट्रको में प्रयुक्त 16 इंच से अधिक के सामान्य रिम के ब्यास कोड वाली ट्यूबों और / अथवा रबर (ट्यूब रहित टायरों सहित) के फ्लैप सहित अथवा उनके बिना"(एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है) जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 4011 20 10 के अंतर्गत आते हैं, के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 45/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 18 सितम्बर, 2017, जिसे सा.का.नि. 1169 (अ), दिनांक 18 सितम्बर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i ) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को आगे जारी रखने के मामले में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 23 के अनुपालन में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अपने प्रारंभिकीकरण अधिसूचना फा संख्या 7/02/2022-डीजीटीआर, दिनांक 30 मार्च, 2022, जिसे दिनांक 30 मार्च, 2022 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया है और उन्होंने उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार उक्त प्रतिपाटन शुल्क को आगे भी जारी रखने के लिए अनुरोध किया है।

अत: अब उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त नियमावली के नियम 18, 20 और 23 के साथ पठित, केन्द्र सरकार, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), अधिसूचना संख्या 45/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 18 सितम्बर, 2017, जिसे सा.का.नि. 1169 (अ), दिनांक 18 सितम्बर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i ) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात निम्नलिखित पैराग्राफ को अंत: स्थापित किया जाएगा, यथा :-

"3. पैराग्राफ 2 में निहित किसी भी बात के बावजूद, इस अधिसूचना के तहत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क दिनांक 17 दिसंबर 2022 तक, जिससे यह तारीख भी शामिल है, यदि इसके पहले इसे वापस

नहीं ले लिया जाता है , इसका अधिक्रमण नहीं होता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो, लागू रहेगा । "।

[फाइल संख्या 190354/106/2022 - टीआरयू]

**(विक्रम विजय वानेरे)**
अवर सचिव, भारत सरकार

**नोट** : प्रधान अधिसूचना संख्या 45/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 18 सितम्बर, 2017, जिसे सा.का.नि. 1169 (अ), दिनांक 18 सितम्बर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था ।